

उत्तर प्रदेश में सामान्य निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र के लिए

आवेदन पत्र का प्रारूप-1

- | | |
|--|---|
| 1-आवेदक का नाम | आवेदक की
नवीनतम फोटो |
| 2- पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम | सत्यापनकर्ता द्वारा
हस्ताक्षरित व मुहर
सहित चिपकार्ये |
| 3- (क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल
निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि हो तो) | |
| (ख) माता/पिता का जन्म-स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से
है कब से कब तक) | |
| (ग) उत्तर प्रदेश में उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि कोई हो) | |
| अथवा | |
| 4- सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से
निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर-
पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र) ... | |
| 5- पूरा वर्तमान पता | |
| थाना | तहसील |
| जनपद | (तथा पिछले तीन वर्ष से निवास करने का पता कब से
कब तक) |
| 6- उत्तर प्रदेश में उक्त जनपद में निवास करने की अवधि | |
| (अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त विन्दुओं में की व्यवस्थानुसार) | |
| 7- (क) आवेदक का जन्म स्थान..... | |
| (ख) जन्म तिथि | (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर
नगरपालिका एवं उपनगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा देय होगा) |
| 8- स्थायी पता | |
| 9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। (हाँ/नहीं) | |
| (यदि हाँ तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें) | |
| 10- प्रमाण पत्र किस प्रयोजन के हेतु चाहिए | |
| में | घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त
समस्त सूचनाएं सत्य है व मेरी समस्त जानकारी के आधार पर दी गयी है। जिसके लिए मैं
पूर्णतया उत्तरदायी हूँ। |

आवेदक का पूरा नाम तथा
हस्ताक्षर

नोट :- (आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के साथ पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

- 1— श्री/श्रीमती/कुमारी
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... निवासी/निवासिनी मकान न0ग्राम/मोहल्ला
..... पोस्ट जनपद
उत्तर प्रदेश को मैं वर्षों से जानता हूँ।
- 2— श्री/श्रीमती/कुमारी वर्षों से उक्त पते पर निवास कर रहा/
रही है।

अथवा

- 3— श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी
की या उसके माता/पिता की ग्राम/मोहल्लातहसील
जिला में अचल सम्पत्ति है।

दिनांक

हस्ताक्षर
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर

नोट :- (उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।)

कार्यालय उपजिलाधिकारी जनपद ...
संख्या /निवास प्रमाण पत्र

दिनांक

सक्षम अधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

- 1- श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी
निवासी मकान
ग्राम/मोहल्ला..... थाना
जनपद , उत्तर प्रदेश का/की निवासी है।
वर्तमान पता ग्राम/मोहल्ला
तहसील जनपद है।
- 2- उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 से आवेदक एवं सत्यापनकर्ता उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने (Ordinarily Resident) विषयक प्रमाणपत्र निर्गत किया जा रहा है।

फोटो की एक प्रति
चस्पा करने के बाद
सक्षम अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित व
मुहर लगाकर
प्रमाणित की जाय।

दिनांक :-

हस्ताक्षर

()

उपजिलाधिकारी

जनपद

नोट :- उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट 1995 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा जिसे भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।